



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225836
CG-DL-E-12032021-225836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]
No. 129]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

सा.का.नि.170(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 200 और धारा 203 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
- आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में,—
 - प्ररूप सं. 12खक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप सं. 12खक

[नियम 26क (2)(ख) देखिए]

परिलब्धियों, अन्य उपांत फायदों या सुख सुविधाओं और वेतन के बदले में लाभों की, उनके मूल्य सहित,
विशिष्टियां दशनि वाला विवरण

1. नियोजक का नाम और पता :
2. कर कटौती खाता संख्यांक :
3. नियोजक की स्रोत पर कर कटौती निर्धारण रेंज :
4. कर्मचारी का नाम, पदनाम और स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक :
5. क्या कर्मचारी कंपनी में निदेशक है या उसका उसमें सारवान हित है :
(जहाँ नियोजक कंपनी है)
6. “वेतन” शीर्ष के अधीन कर्मचारी की आय :
(परिलब्धियों से भिन्न)
7. वित्तीय वर्ष :
8. परिलब्धियों का मूल्यांकन :

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| क्र. सं. | परिलब्धियों की प्रकृति (नियम 3 देखिए) | नियमों के अनुसार परिलब्धि का मूल्य (रू.) | कर्मचारी से वसूल की गई रकम यदि कोई हो (रू.) | कर से प्रभार्य परिलब्धिकी रकम स्तंभ (3) – स्तंभ (4) – (रू.) |
|----------|---------------------------------------|--|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| 1. | वास-सुविधा | | | |
| 2. | कारों/अन्य आटोमोटिव | | | |
| 3. | सफाईवाला, माली, चौकीदार और निजी परिचर | | | |
| 4. | गैस, विद्युत, जल | | | |
| 5. | व्याज मुक्त या रियायती ऋण | | | |
| 6. | अवकाश व्यय | | | |
| 7. | मुफ्त या रियायती यात्रा | | | |
| 8. | मुफ्त भोजन | | | |
| 9. | मुफ्त शिक्षा | | | |
| 10. | उपहार, वाउचर, आदि | | | |
| 11. | क्रेडिट कार्ड व्यय | | | |
| 12. | क्लब व्यय | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 13. | कर्मचारियों द्वारा स्थावर आस्तियों का प्रयोग | | | |
| 14. | कर्मचारियों को आस्तियों का अंतरण | | | |
| 15. | किसी अन्य फायदे/सुख सुविधा/सेवा/विशेषाधिकार का मूल्य | | | |
| 16. | नियोजक द्वारा आवंटित या अंतरित स्टॉक विकल्प जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्टअप है | | | |
| 17. | उपर स्तंभ 16 में ईएसओपी से भिन्न स्टॉक विकल्प (गैर अर्ह विकल्प) | | | |
| 18. | धारा 17 (2) (vii) के अधीन कराधेय निधि और स्कीम में नियोजक द्वारा अभिदाय | | | |
| 19. | धारा 17 (2) (vii) में निर्दिष्ट और धारा 17 (2) (viiक) के अधीन कराधेय निधि और स्कीम के प्रत्यय के शेष में ब्याज, लाभांश आदि के माध्यम से वार्षिक अभिवृद्धि | | | |
| 20. | अन्य फायदे या सुख-सुविधाएं | | | |
| 21. | परिलब्धियों का कुल मूल्य | | | |
| 22. | धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले में लाभों का कुल मूल्य | | | |

(9) कर के ब्यौरे,-

- (क) धारा 192(1) के अधीन कर्मचारी के वेतन से काटा गया कर -----
- (ख) धारा 192(1क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोजक द्वारा संदत्त कर -----
- (ग) संदत्त कुल कर -----
- (घ) सरकारी खजाने में संदाय की तारीख -----

नियोजक द्वारा घोषणा

मैं,-----श्री.-----का पुत्र, जो----- (पदनाम) के रूप में कार्य कर रहा हूँ----- (नियोजक का नाम) की ओर से यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी लेखा-बहियों,

दस्तावेजों और हमारे पास उपलब्ध अन्य सुसंगत अभिलेखों या जानकारी पर आधारित है और प्रत्येक ऐसी परिलब्धि के मूल्य के ब्यौरे धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार हैं तथा यह कि ऐसी जानकारी सत्य और सही है।

स्थान

पूरा नाम

तारीख

पदनाम

कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर।";

(ii) प्ररूप सं. 16 के भाग ख (उपाबंध) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“भाग ख (उपाबंध)

| “संदत्त वेतन और अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे | | | |
|--|--|----------|-----|
| अ | क्या धारा 115 खकग के अधीन कराधान का विकल्प चुना है | हां/नहीं | |
| 1. | सकल वेतन | | |
| (क) | धारा 17(1) के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन | रु. | |
| (ख) | धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां लागू हो) | रु. | |
| (ग) | धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12 खक के अनुसार, जहां लागू हो) | रु. | |
| (घ) | कुल | | रु. |
| (ङ) | अन्य नियोजक(कों) से प्राप्त रिपोर्ट की गई वेतन की कुल रकम | रु. | |
| 2. | घटाएं : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते | | |
| (क) | धारा 10 (5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता | रु. | |
| (ख) | धारा 10 (10) के अधीन मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति उपदान | रु. | |
| (ग) | धारा 10 (10क) के अधीन पेंशन का संराशीकृत मूल्य | रु. | |
| (घ) | धारा 10 (10कक) के अधीन छुट्टी वेतन नकदीकरण के बराबर नकद | रु. | |
| (ङ) | धारा 10 (13क) के अधीन गृह किराया भत्ता | रु. | |
| (च) | धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम | | |
| | खंड ... | रु. | |
| | खंड ... | रु. | |
| | खंड ... | रु. | |
| | खंड ... | रु. | |
| | खंड ... | रु. | |
| | ... | रु. | |
| (छ) | धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम | रु. | |
| (ज) | धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की कुल रकम [2(क)+2(ख) +2(ग) +2(घ)+2(ङ) +2(च) +2(छ)] | | रु. |
| 3. | वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल रकम[1(घ)-2(ज)] | | रु. |
| 4. | घटाएं : धारा 16 के अधीन कटौतियां | | |

| | ... | रु. | रु. | रु. |
|---|---|--|----------|----------|
| (1) | अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध (घों) के अधीन कुल कटौती योग्य रकम | रु. | रु. | रु. |
| 11 | अध्याय 6-क के अधीन कुल कटौती योग्य रकम [10(क)+10(ख)+10(ग)+10(घ)+10(ङ).+10(च)+10(छ)+10(ज)+10 (झ)+10(ञ) 10(1)] | | | रु. |
| 12 | कुल कर योग्य आय (9-11) | | | रु. |
| 13 | कुल आय पर कर | | | रु. |
| 14 | घाटा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो | | | रु. |
| 15 | अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो | | | रु. |
| 16 | स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @4% | | | रु. |
| 17 | देय कर (13+15+16-14) | | | रु. |
| 18 | घटाएं :धारा 89 के अधीन अनुतोष (ब्यौरा सलग करें) | | | रु. |
| 19 | शुद्ध देय कर (17-18) | | | रु. |
| सत्यापन | | | | |
| मैं,.....पुत्र/पुत्री..... जो (पदनाम) की हैसियत से कार्य कर रहा /रहीं हूं यह प्रमाणित करता करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा लेखा बहियों दस्तावेजों, स्रोत पर की कटौती के विवरणों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है। | | | | |
| स्थान..... | | (कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर) | | |
| तारीख | | पूरा नाम..... | | |

टिप्पण :

- सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर की आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- कटौतीकर्ता, आयकर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजन के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाणपत्र, प्ररूप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा।
- (i) यदि वर्ष को दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अवधि से संबंधित प्ररूप सं. 16 में प्रमाणपत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था।
(ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्ररूप सं. 16 प्रमाणपत्र का भाग ख (उपबंध) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा।
- भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लिखित करें।

7. कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) और 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हो, सम्यक रूप से भरेगा।”;

(iii) प्ररूप संख्या 24थ में, “उपाबंध II” के लिए निम्नलिखित “उपाबंध” रखा जाएगा, अर्थात्:-

| “उपाबंध II | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|
| वित्तीय वर्षके दौरान संदत्त या जमा किए गए वेतन और शुद्ध संदेय कर के ब्यौरे | | | | | | | | | | |
| क्रम संख्या। | कर्मचारी का स्थायी खाता संख्या। | कर्मचारी का नाम। | क्या धारा 115 खकग के अधीन कराधान चुना गया ? [हां/नहीं] | कटौती करने वाले का प्रकार (ज्येष्ठ नागरिक, जेष्ठतम नागरिक, अन्य।)। | वर्तमान वित्तीय वर्ष में वर्तमान नियोजक के साथ प्रारम्भ से समाप्ति की तारख तक (दिन/माह/वर्ष)। | (क)धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कुल वेतन। | (ख)धारा 17(2) के अधीन परिलब्धि का मूल्य (प्ररूप 12खक के अनुसार जहां कहीं भी लागू हो) | (ग) धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप संख्या 12 खक के अनुसार जहां कहीं भी लागू हो)। | वर्तमान नियोजक से प्राप्त सकल वेतन का कुल रकम (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 देखें)। | |
| (330) | (331) | (332क) | (332ख) | (333) | (334) | (335) | (336) | (337) | (338) | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| अन्य नियोजक (कों) से प्राप्त की गई वेतन की रिपोर्ट की गई कुल रकम (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 देखें) | धारा 10(5) के अधीन रियायत या सहायता यात्रा। | धारा 10(10) के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान। | धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का संराशित मूल्य। | धारा 10(10कक) के अधीन छुट्टी वेतन भुनाने के समतुल्य नकदी। | धारा 10 (13क) के अधीन मकान किराया भत्ता। | भू-स्वामी का पैन यदि, धारा 10(13क) के अधीन छूट का दावा किया गया है (टिप्पण 3 देखें)। | धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम। | धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त दावा की गई कुल रकम (340+341+342+343+344+346)। | धारा 16 (क) के अधीन कुल कटौती। |
| (339) | (340) | (341) | (342) | (343) | (344) | (345) | (346) | (347) | (348) |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|---------------------------|---|--|--|
| धारा 16 (ii) के अधीन कुल कटौती। | धारा 16 (iii) के अधीन कुल कटौती। | वेतन [338+339+347+348+349+350] शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय। | धारा 192 (2ख) के अनुसार टी डी एस के लिए प्रस्तावित नियोजक द्वारा रिपोर्ट की गई गृह सम्पत्ति से आय (या अनुज्ञेय हानि) | उधार देने वाले का पैन, यदि धारा 24(ख) के अधीन गृह ऋण पर ब्याज की मांग की गई है (टिप्पण4 देखें) | धारा 192 (2ख) के अनुसार टी डी एस के लिए प्रस्तावित अन्य शीर्ष स्रोत के अधीन आय। | सकल कुल आय (351+352+354)। | धारा 80(ग) के अधीन जीवन बीमा प्रीमिया, भविष्य निधि में योगदान आदि के संबंध में कटौती। | धारा 80 गगघ के अधीन कतिपय पेंशन निधि के योगदान के संबंध में कटौती। | धारा 80 गगघ (1) के अधीन अधिसूचित पेशन स्कीम के करदाता द्वारा योगदान के संबंध में कटौती ॥ |
| (349) | (350) | (351) | (352) | (353) | (354) | (355) | (356) | (357) | (358) |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|----------------------------|-------------------|
| धारा 80 गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन संदत्त या जमा रकम के संबंध में कटौती। | धारा 80 गगघ(2) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन नियोजक द्वारा योगदान के संबंध में कटौती। | धारा 80 घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमिया के संबंध में कटौती। | धारा 80 ड. के अधीन उच्चतर शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती। | धारा 80छ के अधीन कतिपय निधि, पूर्त संस्था आदि के संदान के संबंध में कुल कटौती। | धारा 80 न न क के अधीन बचत खाता में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती। | अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध(धों) के अधीन कटौती योग्य रकम। | अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य कुल रकम [356+357+ 358(1,50,000) रु. की सीमा तक) +359 +360 + 361 +362 +363 +364 +365] | कुल कर योग्य आय (355-366)। | कुल आय पर आय करा। |
| (359) | (360) | (361) | (362) | (363) | (364) | (365) | (366) | (367) | (368) |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|---|---|--|---|
| धारा 87 क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो। | अधिभार, जहां कहीं भी लागू हो। | स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। | धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जब वेतन आदि बकाया या अग्रिम धन संदत्त कर दिया गया है। | शुद्ध कर दायित्व) [368 + 370 +371 - (369+372)] | संपूर्ण वर्ष के लिए चालू नियोजक द्वारा ख्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग] | अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा ख्रोत पर कटवाए गए कर की रिपोर्ट की गई रकम (वह रकम जिसके संबंध में स्तंभ 339 में संगणित कुल कर योग्य आय में सम्मिलित की गई है) | संपूर्ण वर्ष के लिए ख्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम (374 +375) | कर कटौती में कमी (+) या अधिक कर कटौती (-) (373-376) |
| (369) | (370) | (371) | (372) | (373) | (374) | (375) | (376) | (377) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

टिप्पण :

1. वेतन, जिसके अंतर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपादान [धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न] फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्ति उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन जमा की गई रकम का प्रतिसंदाय, परिलब्धि किसी वेतनमान या मजदूरी के लिए लाभ के स्थान पर या इसके अतिरिक्त, जिसके अंतर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में वेतन का अग्रिम, न ली गई छुट्टी की किसी अवधि के बाबत प्राप्त कोई संदाय भी है, [धारा 10(10कक) के अधीन छूट से भिन्न] आय कर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसरण में कर के लिए प्रभार्य किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में लेखा का अतिशेष के लिए कोई वार्षिक अनुवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 2 के उपनियम (4) के अनुसरण में कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई रकम आय समझी जाएगी, धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या वेतन शीर्ष के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य कोई अन्य रकम।
2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी की निधि के लिए कर्मचारी के किन्हीं अभिदायो का उसकी ओर से संदाय करता है वहां ऐसी सभी कटौतियों या संदाय विवरण में शामिल किया जाना चाहिए।
3. भू-स्वामी का स्थायी खाता संख्या दिया जाना आज्ञापक होगा जहां पिछले वर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक कुल किराया संदत्त किया गया है।

4. उधार देने वाले का स्थायी खाता संख्या दिया जाना आज्ञापक होगा जहां आवासीय ऋण जिस पर ब्याज संदत्त कर दिया गया है, वित्तीय संस्थान या नियोजक से अन्यथा व्यक्ति से लिया गया है।”।

[अधिसूचना सं. 15/2021/फा.सं.370142/04/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव, (कर नीति और विधायन)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किया गया और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 162(अ), तारीख 09 मार्च, 2021 को किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

G.S.R. 170(E). —In exercise of powers conferred by sections 200 and 203 read with section 295 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Income-tax (3rd Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2021.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II,-
(i) For Form No. 12BA, the following shall be substituted, namely:—

“FORM NO. 12BA

[See rule 26A(2)(b)]

Statement showing particulars of perquisites, other fringe benefits or amenities and profits in lieu of salary with value thereof

| | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | Name and address of employer | : | |
| 2. | TAN | : | |
| 3. | TDS Assessment Range of the employer | : | |
| 4. | Name, designation and Permanent Account Number or Aadhaar Number of employee | : | |
| 5. | Is the employee a director or a person with substantial interest in the company (where the employer is a company) | : | |
| 6. | Income under the head “Salaries” of the employee (other than from perquisites) | : | |
| 7. | Financial year | : | |
| 8. | Valuation of Perquisites | : | |

| S. No. | Nature of perquisites (see rule 3) | Value of perquisite as per rules (Rs.) | Amount, if any, recovered from the employee (Rs.) | Amount of perquisite chargeable to tax Col. (3) - Col. (4) (Rs.) |
|--------|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Accommodation | | | |
| 2. | Cars/Other automotive | | | |
| 3. | Sweeper, gardener, watchman or personal attendant | | | |
| 4. | Gas, electricity, water | | | |
| 5. | Interest free or concessional loans | | | |
| 6. | Holiday expenses | | | |
| 7. | Free or concessional travel | | | |
| 8. | Free meals | | | |
| 9. | Free education | | | |
| 10. | Gifts, vouchers, etc. | | | |
| 11. | Credit card expenses | | | |
| 12. | Club expenses | | | |
| 13. | Use of movable assets by employees | | | |
| 14. | Transfer of assets to employees | | | |
| 15. | Value of any other benefit/amenity/service/privilege | | | |
| 16. | Stock options allotted or transferred by employer being an eligible start-up referred to in section 80-IAC. | | | |
| 17. | Stock options (non-qualified options) other than ESOP in col 16 above. | | | |
| 18. | Contribution by employer to fund and scheme taxable under section 17(2)(vii). | | | |
| 19. | Annual accretion by way of interest, dividend etc. to the balance at the credit of fund and scheme referred to in section 17(2)(vii) and taxable under section 17(2)(viii). | | | |
| 20. | Other benefits or amenities | | | |
| 21. | Total value of perquisites | | | |
| 22. | Total value of profits in lieu of salary as per section 17(3) | | | |

(9) Details of tax,—

- (a) Tax deducted from salary of the employee under section 192(1)
(b) Tax paid by employer on behalf of the employee under section 192(1A)
(c) Total tax paid
(d) Date of payment into Government treasury

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

DECLARATION BY EMPLOYER

I, _____, s/o _____ working as _____ (designation) do hereby declare on behalf of _____ (name of the employer) that the information given above is based on the books of account, documents and other relevant records or information available with us and the details of value of each such perquisite are in accordance with section 17 and rules framed thereunder and that such information is true and correct.

Place

Full Name

Date

Designation

Signature of the person responsible for deduction of tax.”;

(ii) In Form No. 16, for Part B (Annexure), the following shall be substituted, namely :-

“PART B (Annexure)

| Details of Salary Paid and any other income and tax deducted | | | | |
|--|---|---------|----------|---------|
| A | Whether opting for taxation u/s 115BAC? | | [YES/NO] | |
| 1. | Gross Salary | | | |
| (a) | Salary as per provisions contained in section 17(1) | | Rs. ... | |
| (b) | Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. 12BA, wherever applicable) | | Rs. ... | |
| (c) | Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No. 12BA, wherever applicable) | | Rs. ... | |
| (d) | Total | | | Rs. ... |
| (e) | Reported total amount of salary received from other employer(s) | | Rs. ... | |
| 2. | Less: Allowances to the extent exempt under section 10 | | | |
| (a) | Travel concession or assistance under section 10(5) | | Rs. ... | |
| (b) | Death-cum-retirement gratuity under section 10(10) | | Rs. ... | |
| (c) | Commuted value of pension under section 10(10A) | | Rs. ... | |
| (d) | Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA) | | Rs. ... | |
| (e) | House rent allowance under section 10(13A) | | Rs. ... | |
| (f) | Amount of any other exemption under section 10 | | | |
| | clause ... | Rs. ... | | |
| | clause ... | Rs. ... | | |
| | clause ... | Rs. ... | | |
| | clause ... | Rs. ... | | |
| | clause ... | Rs. ... | | |
| | ... | Rs. ... | | |
| (g) | Total amount of any other exemption under section 10 | | Rs. ... | |
| (h) | Total amount of exemption claimed under section 10 [2(a)+2(b)+2(c)+2(d)+2(e)+2(g)] | | | Rs. ... |
| 3. | Total amount of salary received from current employer [1(d)-2(h)] | | | Rs. ... |
| 4. | Less: Deductions under section 16 | | | |
| (a) | Standard deduction under section 16(ia) | | Rs. ... | |
| (b) | Entertainment allowance under section 16(ii) | | Rs. ... | |
| (c) | Tax on employment under section 16(iii) | | Rs. ... | |
| 5. | Total amount of deductions under section 16 [4(a)+4(b)+4(c)] | | | Rs. ... |
| 6. | Income chargeable under the head "Salaries" [(3+1(e)-5] | | | Rs. ... |
| 7. | Add: Any other income reported by the employee under as per section 192 (2B) | | | |
| (a) | Income (or admissible loss) from house property reported by employee offered for TDS | | Rs. ... | |

| | | | | |
|-----|---|--------------|-------------------|-------------------|
| (b) | Income under the head Other Sources offered for TDS | | Rs. ... | |
| 8. | Total amount of other income reported by the employee [7(a)+7(b)] | | | Rs. ... |
| 9. | Gross total income (6+8) | | | Rs. ... |
| 10. | Deductions under Chapter VI-A | | | |
| | | | Gross Amount | Deductible Amount |
| (a) | Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C | | Rs. ... | Rs. ... |
| (b) | Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC | | Rs. ... | Rs. ... |
| (c) | Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD (1) | | Rs. ... | Rs. ... |
| (d) | Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD(1) | | Rs. ... | Rs. ... |
| (e) | Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B) | | Rs. ... | Rs. ... |
| (f) | Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 80CCCD (2) | | Rs. ... | Rs. ... |
| (g) | Deduction in respect of health insurance premia under section 80D | | Rs. ... | Rs. ... |
| (h) | Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E | | Rs. ... | Rs. ... |
| | | Gross Amount | Qualifying Amount | Deductible Amount |
| (i) | Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| (j) | Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| (k) | Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A | | | |
| | section ... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section ... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section ... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section ... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section ... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | section ... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| | ... | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| (l) | Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A | Rs. ... | Rs. ... | Rs. ... |
| 11. | Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [10(a)+10(b)+10(c)+10(d)+10(e)+10(f)+10(g)+10(h)+10(i)+10(j)+10(l)] | | | Rs. ... |
| 12. | Total taxable income (9-11) | | | Rs. ... |
| 13. | Tax on total income | | | Rs. ... |
| 14. | Rebate under section 87A, if applicable | | | Rs. ... |
| 15. | Surcharge, wherever applicable | | | Rs. ... |
| 16. | Health and education cess @ 4% | | | Rs. ... |

Notes:

1. Salary includes wages, annuity, pension, gratuity (other than exempted under section 10(10), fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed (other than exempted under section 10 (10AA), any annual accretion to the balance of the account in a recognised provident fund chargeable to tax in accordance with rule 6 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any sums deemed to be income received by the employee in accordance with sub-rule (4) of rule 11 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'.
2. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.
3. Permanent Account Number of landlord shall be mandatorily furnished where the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees.
4. Permanent Account Number of lender shall be mandatorily furnished where the housing loan, on which interest is paid, is taken from a person other than a Financial Institution or the Employer.”.

[Notification No. 15/2021/F.No. 370142/04/2019-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E) dated the 26th of March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R No. 162(E) dated the 09th of March, 2021.